न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2022 (अपील)

GCMS No. 2022/52

अनवान

1. श्री शंकरलाल पिता श्री हरजी मीणा निवासी बस्सी झुझावत तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर ।
2. श्री वालूराम पिता श्री हरजी मीणा निवासी बस्सी झुझावत तहसील सलुम्बर जिला।

– अपीलान्ट्स

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार साहब सलुम्बर, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 211 तहसीलदार सलुम्बर आदेश दिनांक 03.09.1998

* निर्णय *

दिनांक– 28-12-2022

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के भ्राता श्री लाला पिता हरजी मीणा का स्वर्गवास हो जने पर मौजा बस्ती झुझावत में श्री लाला पिता हरजी के खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण जरिये विरासत अधिनस्थ तहसीलदार जी सलुम्बर द्वारा पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत बस्सी झुझावत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया। श्री लाला पिता हरजी मीणा लाऔलाद स्वर्गवास हो गया । परन्तु श्री लाला के कोई जाइन्दा सन्तान नही होने से श्री लाला पिता हरजी के खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण उनके भ्राता अपीलाण्ट उनके विधिक वारिस होने से उनके नाम खोला गया था। श्री लाल के पत्नी श्रीमती कडूमा का भी स्वर्गवास हो चुका है। श्री लाला के विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने में अपीलाण्ट जो मृतक लाला के सगे भ्राता होकर विधिक उत्तराधिकारी थे का नाम नामान्तरकरण से शंकरलाल, बालुराम पिता श्री लाला मीणा के नाम से नामान्तरकरण खोल दिया जिसमें भारी भूल अधिनस्थ तहसीलदार साहब द्वारा की गई, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट साधारण ग्रामीण अशिक्षित आदिवासी किसान है जिन्हे इस बात का कभी ज्ञान नहीं था कि जो नामान्तरकरण भ्राता लाला पिता हरजी मीणा के नाम से उनके नाम पर खोला गया है उनके उनका नाम शंकरलाल पिता हरजी व वालुराम पिता हरजी के स्थान पर शंकरलाल, वालुराम पिता लाला दर्ज कर दिया है। अपीलाण्ट जो ग्रामीण किसान है उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:32 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है हाल ही में उक्त भूमि पर राजकीय योजना से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्य अपीलाण्ट को बताये जाने पर प्रथम बार उक्त तथ्य का ज्ञान अपीलाण्ट को हुआ। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु तहसीलदार से दिनांक 29.6.2022 को आवेदन किया व तुरन्त उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर आवश्यक कानूनी राय लेकर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जिसे पेश किए जाने में जानबुझकर कोई चूक या देरी नही की गई है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकर फरमाई जाकर अधिनस्थ तहसीलदार जी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण में शंकरलाल, वालूराम पिता लाला मीणा के स्थान पर शंकरलाल, वालूराम पिता हरजीमीणा दर्ज फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपीलाण्ट के भाई लाला पिता हरजी मीणा की मृत्यु होने से विरासत के नामान्तरकरण में अपीलाण्टस का नाम शंकरलाल, वालूराम पिता लाला मीणा दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम शंकरलाल, वालूराम पिता हरजी मीणा दर्ज होना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.09.1998 में पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 29.06.2022 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलाण्ट के भाई लाला पिता हरजी लाऔलाद फौत होने से उनके नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरकरण को तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन उक्त नामान्तरकरण को दर्ज करते वक्त अपीलाण्ट का नाम शंकरलाल, वालूराम पिता हरजी मीणा दर्ज करना चाहिए था जिसकी जगह शंकरलाल, वालूराम पिता लाला मीणा दर्ज कर दिया गया। जबकि पत्रावली के साथ लाला पिता हरजी का ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.98 की प्रति पेश की जिसमें भी अपीलाण्ट का नाम शंकरलाल, वालूराम पिता हरजी मीणा अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय/तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में त्रुटि कर दी गई है जिससे अपीलाण्ट को कई असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। उक्त नामान्तरकरण पृथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा बस्सी झुझावत, पटवार हल्का बस्सी तहसील सलुम्बर का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा में पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 03.09.1998 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सलुम्बर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक लाला पिता हरजी मीणा के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण संबन्धित विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested